

अत्यावश्यक / स्पीड पोस्ट

क्रमांक प.1(29)राभ / 2015 / 4855

दिनांक: 20-07-2015

कुलपति,

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
11. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
12. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
13. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
15. सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
16. हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर।
17. डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
18. पं० दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. राजीव गाँधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।
22. राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू।
23. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
24. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
25. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विषय:- राजकीय विश्वविद्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति के संबंध में।

संदर्भ:- राज्यपाल सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3989 दि.19.06.2015,
4185 दिनांक 25.06.2015 तथा 4618-42 दिनांक 13.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिनके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी की प्रतिदिन बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज किये जाने की व्यवस्था दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक आवश्यक रूप से स्थापित की जाकर दिनांक 07 अगस्त, 2015 तक पालना रिपोर्ट माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ के निर्देश दिये थे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह

// 2 //

व्यवस्था संघटक महाविद्यालयों में भी लागू की जानी है तथा विश्वविद्यालयों के समस्त विभागों/अनुभागों/संस्थानों (संघटक महाविद्यालयों सहित) में दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक लागू की जानी है।

इस क्रम में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लेख है कि उपरोक्तानुसार बायोमैट्रिक मशीन प्रणाली से उपस्थिति दर्ज किये जाने की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों (affiliated colleges) में भी लागू की जानी है। प्रथम चरण में सम्बद्ध महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों को कवर किया जावे। सम्बद्ध महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालयों) के संबंध में उपरोक्तानुसार व्यवस्था दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ की जावे।

कृपया निर्देशों की समय पर पालना सुनिश्चित करावें।


भवदीय,



(गिरी राज सिंह)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :- NO-4856 DATE:-20-07-15


1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।



प्रमुख सचिव, राज्यपाल

NO-4857 DATE:-20-07-15

प्रतिलिपि आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, (राजस्थान), जयपुर को दी जाकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू किये जाने हेतु समस्त राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करावें।



प्रमुख सचिव, राज्यपाल

J. J. J. J.
20/7/15